

परिपत्र संख्या-वि.अनु.शा.-2020-21/ 1471 /कम्प्यूटर0परि0सं0- 2021043 //वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(वि.अनु.शा. अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 02 जनवरी, 2021

समस्त,
एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1,
एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि.अनु.शा.),
ज्वाइण्ट कमिशनर(कार्य0/वि0अनु0शा0),
डि0कमि0/असि0कमि0, वा0क0अधि0(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- नियम-86A के अन्तर्गत आई.टी.सी. block/ unblock की प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा जारी इनवायसेस एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर राज्य कर एवं केन्द्रीय कर प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा क्लेम की गई ITC की blocking/unblocking की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जी.एस.टी. अनुभाग, मुख्यालय से विस्तृत दिशा-निर्देश परिपत्र संख्या-909 दिनांक 07-02-2020 एवं परिपत्र संख्या-2021006 दिनांक 03-07-2020 से निर्गत किए गए हैं।

2. परिपत्र दिनांक 07-02-2020 के प्रस्तर-1.3 एवं 1.5 में नियम-86A के अन्तर्गत कृत कार्यवाही सम्बन्धी ई-मेल की प्रति वि0अनु0शा0 अनुभाग, मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। परिपत्र दिनांक 03-07-2020 के बिन्दु-5 में भी ई-मेल की प्रति वि0अनु0शा0 अनुभाग, मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

3. प्रवर्तन इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा नियम-86A के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण सम्बन्धित खण्ड कार्यालय को भेजते समय उसकी प्रति वि0अनु0शा0 अनुभाग, मुख्यालय को भी पृष्ठांकित करते हुए हार्ड कॉपी प्रेषित की जा रही है जो वांछित नहीं था।

4. आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय द्वारा एस.आई.बी. माइयूल में Enforcement Alert का एक मेन्यू विकसित किया गया है। वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा जांच में किसी फर्म के अस्तित्वहीन पाए जाने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित खण्ड कार्यालय को इस मेन्यू से अवगत कराया जा रहा है जिसकी एम.आई.एस. भी उपलब्ध हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा जारी इनवायसेस के आधार पर नियम-86A के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही की प्रविष्टि वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा एस.आई.बी. माइयूल के Enforcement Alert मेन्यू में की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 07-02-2020 एवं 03-07-2020 के अनुपालन में प्रेषित किये जाने वाले पत्र / ई मेल की प्रति वि0अनु0शा0 अनुभाग, मुख्यालय को पृष्ठांकित नहीं की जायेगी।


(अमृता सोनी)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।